189

दिनांक 25.04.2016 को कार्यपालक सहायक का पैनल निर्माण हेतु जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की आहूत बैठक की कार्यवाही :–

दिनांक 25.04.2016 को अपराह्न 3:00 बजे कार्यपालक सहायक के पैनल निर्माण हेतु जिला पदाधिकारी, नवादा की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक सम्पन्न हुई जिनमें निम्नलिखित पदाधिकारी उपस्थित हुए :–

1. जिला पदाधिकारी, नवादा–अध्यक्ष
2. अपर समाहर्त्ता, नवादा–सदस्य
3. उप विकास आयुक्त, नवादा–परीक्षा नियंत्रक (नामित)
4. जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, नवादा–सदस्य सचिव
5. जिला कल्याण पदाधिकारी, नवादा–सदस्य
6. जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, नवादा–सदस्य
7. जिला सूचना पदाधिकारी, नवादा–सदस्य

जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, नवादा सदस्य सचिव जिला चयन समिति नवादा द्वारा बताया गया कि मिशन निदेशक, बिहार पटना का आदेश ज्ञापांक 531 दिनांक 01.06.2015 के आलोक में जिला पदाधिकारी नवादा की अध्यक्षता में एक समिति की गठन किया गया। समिति का दायित्व है कि नवादा जिला के लिए प्राप्त आवेदन 4727 की सर्वेक्षण से लेकर अभ्यर्थियों की दक्षता जाँच के आधार पर अंक पत्र सहित पैनल के प्रकाशन तक कार्य करेगी।

इस क्रम में दिनांक 03.03.2016 को समिति की बैठक आहूत की गई जिसमें न्यूनतम शैक्षणिक आहर्त्ता मैट्रिक पास आवेदको को 50 अंको का जाँच परीक्षा लिये जाने का निर्णय लिया गया। लिखित जाँच परीक्षा में न्यूनतम 15 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को अगले परीक्षा कम्प्यूटर संचालन टेस्ट के लिए योग्य माना गया। लिखित जाँच परीक्षा में कुल 549 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए जिसमें 350 अभ्यर्थी न्यूनम 15 अंक प्राप्त किया। इन 350 अभ्यर्थियों को 50 अंक का कम्प्यूटर चालन एवं टंकण प्रैक्टिकल टेस्ट दिनांक 06.04.2016 से 08.04.2016 तक ली गई। जिसका परीक्षाफल के आधार पर पैनल का निर्माण किया जाना है। कम्प्यूटर चालन एवं टंकण प्रैक्टिकल टेस्ट के परीक्षा फल के अवलोकन से स्पष्ट है कि कुल 18 (अठारह) ऐसे अभ्यर्थी सम्मिलित हुए है जो पूर्व से कार्यपालक सहायक के पद पर कार्यरत है। चुंकि वर्त्तमान पैनल भी कार्यपालक सहायक के लिए हीं तैयार किया जाना है, और उसमें किसी प्रकार का आर्थिक या पदीय उन्नयन नहीं दिया जाना है। कार्यपालक सहायक के पद पर कार्य करते हुए बिना अनुमति के पुनः परीक्षा में भाग लेना उचित नहीं माना गया, ऐसे अभ्यर्थी कार्यरत रहते हुए मेद्या सूची में अपना स्थान बनाते हैं एवं पैनल में सम्मिलत होने के पश्चात् अपने कार्य स्थान को रिक्त कर देते

E:

25/4/16

जिसके फलस्वरूप रिक्तियाँ यथावत बनी रह जाती हैं एवं जरूरतमंद अभ्यर्थियों को पैनल में स्थान नहीं मिल पाता। इसलिए ऐसे 18 चिन्हित अभ्यर्थियों को पैनल में सम्मिलित नहीं करने का निर्णय लिया गया। परिशिष्ट ''क'' दृष्टव्य है।

इसी तरह कार्यपालक सहायक के लिए अनिवार्य अहर्ता Computer Operating System (Ms. word, Ms. Excel, Ms. powerpoint) आदि की बेसिक जानकारी की जाँच परीक्षा में कम से कम 01 (एक) अंक प्राप्त करने वाले को अंतिम मेधा सूची में रखने का निर्णय लिया गया। एक अंक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित करते हुए मेद्या सूची में सम्मिलित नहीं करने का निर्णय लिया गया। परिशिष्ट ''ख'' दृष्टव्य है। इसके उपरान्त शेष बचे अभ्यथियों को अंतिम मेधा सूचि सह पैनल में रखने का निर्णय लिया गया जो परिशिष्ट ''ग'' पर दृष्टव्य है। इन सफल अभ्यथियों की संख्या–66 (छियासठ) है। विभागीय पत्रांक 169, दिनांक 25.02.2015 के अनुसार जिला पदाधिकारी द्वारा जिला स्तर पर समेकित रूप से आरक्षण रोस्टर निर्माण किया जाना है, तद्नुसार दिनांक 22.04.2016 को पूर्व के समेकित आरक्षण रोस्टर के विभागीय पत्र सं0 2342 दिनांक 15.02.2016 के अनुसार महिलाओं का 35% क्षैतिज आरक्षण के आधार पर रोस्टर अद्यतन किया गया। अनुमोदित रोस्टर के अनुसार कार्यपालक सहायक के श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है :–

क्र0	श्रेणी	बैक लॉग की रिक्तियों की संख्या	नवीन रिक्तियों की संख्या	कुल रिक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5
1	अनु0 जा0	12	11	23
2	अनु ज0 जा0	2	0	2
3	अ0 पि0 वर्ग	8	12	20
4	पि0 वर्ग	0	8	8
5	पिछड़ा वर्ग की महिला	3	2	5
6	अनारक्षित	0	8	8
कुल–		**25**	**41**	**66**

विभागीय पत्र के आलोक में पैनल की वैधता मेधा सूची के प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगी।

जिला चयन समिति, पैनल की अवधि पूर्ण होने के पूर्व भी पैनल को रद्द कर सकेगी।

E: [signature] [signature] 25/4/16

विभागीय पत्र के आलोक में पैनल की वैधता मेधा सूची के प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगी।

जिला चयन समिति, पैनल की अवधि पूर्ण होने के पूर्व भी पैनल को रद्द कर सकेगी।

इस प्रकार सूची के कुल ~~69~~ 67 ~~(उन्हत्तर)~~ (सड़सठ) अभ्यर्थियों को उपलब्ध रोस्टर के अनुसार कार्यपालक सहायक के पद पर नियोजन हेतु अंतिम रूप से निर्मित मेधा सूची को प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया।

इसके पश्चात विभागीय निदेश के आलोक में विभिन्न विभागों से प्राप्त अधियाचना के अनुसार रिक्तियों की संख्या के अनुरूप कार्यपालक सहायकों का पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति की कार्रवाई जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, नवादा के द्वारा की जायेगी। जिसमें यथासंभव बैकलॉग की रिक्तियाँ पूर्ण की जाएगी।

अन्त में सधन्यवाद जिला चयन समिति की बैठक समाप्त की गई।

D.I.O NIC, नवादा	जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, नवादा	जिला कल्याण पदाधिकारी, नवादा	जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, नवादा	उप विकास आयुक्त, नवादा	अपर समाहर्त्ता, नवादा	जिला पदाधिकारी, नवादा